

## कार्यालय मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि०, फैजाबाद।

पत्रांक:- 126 फौ०क्षे०/74 याता०(बाराबंकी वृत्त)/16

दिनांक :- ०१.०३.१७

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी वृत्त, लो०नि०वि०, बाराबंकी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी०-9 (चैनेज 8.327) के बांयी ओर ग्राम-भीखरपुर, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी के गाटा संख्या-179 में मेसर्स भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के किमी०-9 (चैनेज 8.327) के बांयी ओर ग्राम-भीखरपुर, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला-बाराबंकी के गाटा संख्या-179 में मेसर्स भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना लेविल मार्ग के मध्य रेखा से बांयी ओर 18.28 मीटर (60.00 फीट) के बाहर कराया जाय।
2. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का लेविल मार्ग के लेविल से कम से कम 15 सेमी० नीचा होना चाहिए ताकि सड़क पर परिसर का पानी नहीं आने पाये।
3. रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) एवं विभागीय भूमि के बीच 0.6 मीटर पक्की ड्रेन बनाई जाय तथा उसे लोहे की गेटिंग से ढका जाय, ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा न हो और आउटलेट का पानी नाली के द्वारा मुख्य ड्रेन में जा सके।
4. सड़क से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) तक पहुँचने हेतु एप्रोच रोड पर कम से कम 01 मीटर व्यास की एन०पी०-3 ह्यूम पाईप/आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कम्पनी/मालिक द्वारा अपने व्यय से कराया जाय।
5. ड्रेनेज हेतु रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक) परिसर का डाल कम से कम 02 प्रतिशत ड्रेन की ओर रखा जाय।
6. पम्प पर लगाये जाने वाले साइनेज बफर स्ट्रिप क्षेत्र में जमीन से कम से कम 03 मीटर ऊपर रखा जाय। पम्प के साइनेज के अतिरिक्त कोई स्ट्रक्चर अथवा होर्डिंग नहीं खड़ा किया जाय।
7. लो०नि०वि० की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एवं साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।
8. निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन है, तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय।
9. भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लो०नि०वि० पर नहीं होगी। भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन संबंधित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा।
10. मेसर्स भारत पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड के समस्त निर्देशों एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी द्वारा ब्लू प्रिन्ट पर अंकित किये गये अनुबन्धों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
11. एम०ओ०एस०टी० द्वारा जारी पत्रांक आर०डब्लू०/एन०एच०/33023/19/99-डी०ओ०-।।। दिनांक 24.07.13 में दिये गये निर्देशों व चेकलिस्ट की शर्तों एवं आईआर०सी० कोड-12, 1983 में दी गई शर्तें लागू होंगी।

12. जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर वांछित निर्माण हटाना होगा।

13. प्रमुख अभियन्ता, सामान्य वर्ग, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र संख्या-4888 एम०टी०/वर्ग/40 एम०टी०-23/14 दिनांक 30.12.14 द्वारा विशेष सचिव, लो०नि० अनु०-12 लखनऊ को प्रेषित की गयी संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा लिया गया निर्णय श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह

Bharat Petroleum Corporation Ltd

Constituted Attorney

Arjun Singh Thakur

Territory Manager Gorakhpur

उपरोक्त अनुमति अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी वृत्त, लो०नि०वि०, बाराबंकी द्वारा का पत्रांक 475/26 काम-बाराबंकी वृत्त/2016-17 दिनांक 10.02.17 द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(आर०आर०सिंह),

मुख्य अभियन्ता, (फै०क्षे०),  
लो०नि०वि०, फैजाबाद।

पत्रांक:- 1267 फै०क्षे०/१५ याता०(बाराबंकी वृत्त)/16

दिनांक :- 09.03.17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, बाराबंकी।  
संलग्नक:- ड्राइंग की एक प्रति में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, बाराबंकी वृत्त, लो०नि०वि०, बाराबंकी के पत्रांक 475/26 काम-बाराबंकी वृत्त/2016-17 दिनांक 10.02.17 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

  
Constituted Attorney  
Vikram Singh Thakur  
Territory Manager Gorakhpur

मुख्य अभियन्ता, (फै०क्षे०),  
लो०नि०वि०, फैजाबाद।

  
9/3/17